तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
14/11/19	पत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी सा० भ्रमण / अवकाश / चुनाव कार्य / अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली गत आदेशिका की पालना में आगामी दिनांक 26/12/19 को पेश हो।
26/12/019	वकील पक्षकारान उभय पक्ष व वकील उभय पक्ष के मध्य सुलह तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाइमुस्त शर्त के के सुलहनामे द्वारा सब शर्तें निकाल करने व माननीय व्यक्तियों से पक्षकार नहीं बनाने के कारण वाद विड्रॉवल करने की अनुमति चाही है ताकि नवीन वाद पेश कर सकें। वकील प्रतिवादी / अभियोगी ने हर्जाने बाबत निवेदन किया कि वादी वाद विषय के अन्यत्र पेश करने के कारण शास्ति दिलाये जाने का निवेदन किया है। वकील पक्षकारान के बयान पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी ने कोई कानूनी तौर पर योग्य व्यक्तियों / सुलहनामे में पक्षकार नहीं बनाकर कानूनी भूल की है। जिसके लिये शास्ति लगाना है। अतः वादी से उभय शास्ति 200/- रु० सहित स्वीकार किया जाकर वादी को उक्त वाद वापस लेने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। पत्रावली फैसल कुमार जैन सम्बन्ध में बन्द की जावे।

(उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज०)